फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

इन्द्रा बनाम छोटेलाल वगै0

किस्म मुकदमा—दावा तकास्मा मु0नं0— 533/2016

पीठासीन अधिकारी— डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.12.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय विभाजन प्रस्ताव हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया है कि उप तहसीलदार गीजगढ द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार एवं सही है जिनसे वादी पूर्णत सहमत है, सहवन से विवादित भूमि के खसरा नम्बर 2115 के स्थान पर 215 अंकित हो गये थे एवं उक्त साबिक नम्बर के वर्तमान नम्बर 2795 कायम किए गए है जिसके विभाजन प्रस्ताव उप तहसीलदार गीजगढ द्वारा तैयार किए गए है। इसलिए विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर वादपत्र में अंतिम डिक्री पारित की जावे। बहस वादी अधिवक्ता का मनन किया गया, पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। साबिक खसरा नम्बरान का अवलोकन किया गया। बहस वादी अधिवक्ता एवं विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से उप तहसीलदार द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः उप तहसीदार गीजगढ द्वारा पत्रांक भू0अ0/2025/31 दिनांक 05.12.2025 द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। उप तहसीलदार गीजगढ विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी हो। उप तहसीलदार गीजगढ को पालना तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	